न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–74 सन् 2021

नवल किशोर सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

बिनय प्रताप सिंह व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 13.04.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादीगण की ओर से विवादित स्थल पर वर्तमान स्थिति के निरीक्षण हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.01.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश की भूमि पर बिना मोक्कमिल बंटवारा किए ही निर्माण कार्य करने वो स्वरूप बदलने को लेकर इंतनाई आवेदन दिनांक 05.08.2021 को दाखिल की है। न्यायहित में तकरारी स्थल का वर्तमान वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन नजरी नक्सा के साथ मंगाना आवश्यक है। तकरारी स्थल पर निर्माण होने से अपूर्णिय क्षति होगी। जिसका लाभ प्रतिवादीगण उठा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश की भूमि का वर्तमान वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन नजरी नक्सा के साथ स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त से मंगाई जाए।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 17.01.2022 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी का विवादित भूमि में कोई हकियत नहीं है और वादी के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई भी वाद का आधार दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी

परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज कर दिया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण ने वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर वादीगण के पक्ष में विभाजन की डिकी पारित कर सिडियुल नं0 01 की जायदाद में से वादीगण के पक्ष में 1/3 हिस्सा पर दखल करा दिया जाए कि मांग की गई। वादीगण का वादपत्र में कथन है कि विवादित जमीन में पक्षकार की इजमाली संपत्ति है। जिसमें सुविधा अनुसार आपसी व्यवस्था के मुताबिक जोत–आबाद तथा उपभोग करते चले आ रहे हैं। सभी प्रतिवादीगण एक–दूसरे के राय एवं साजिश में होकर विवादित जमीन में हिस्सेदारी के मुताबिक उपभोग करने में काफी दिक्कत पैदा करते रहते हैं तथा भूमि की उपयोगिता बर्बाद करने पर तुले हैं मना करने पर मारपीट की धमकी देते हैं। वादी की ओर से दिनांक 05.08.2021 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 सी0पी0सी0 के अंतर्गत इंतनाई आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि सिडियुल नं0 01 की भूमि पर नाजायद दावा कर प्रतिवादीगण भूमि का स्वरूप बदलना चाहते हैं वो उसमें पक्का निर्माण कार्य बिना बंटवारा किए करने पर उतारू हैं वो निर्माण सामग्री गिराये हुए हैं। प्रतिवादीगण सिडियुल नं0 01 पर बिना बंटवारा किए निमार्ण कार्य करने के साथ साथ भूमि के निस्वत वोसिका हस्तांतरण भी करना चाहते हैं। इससे वादो को अपूर्णिय क्षति होगी। उपर्युक्त परिस्थितियों में विवादित भूमि के संबंध में वर्तमान स्थिति का अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है वो न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने भी कारण पृच्छा दिनांक 11.01.2022 में कंडिका–10 में यह स्वीकार किया है कि सिडियुल नं0 01 की विवादित जायदाद पर दखल कब्जा वो पूर्ण स्वामित्व की हैसियत से निर्माण सामग्री इकट्ठा किए हैं और निर्माण

कार्य भी कर रहे हैं। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 11.01.2022 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति शुल्क 2500/—रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 27.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।